राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11692/2024

कमल किशोर पुत्र श्री सीता राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, भड़ाना, पी.एस. मुंडवा, जिला नागौर (वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह मेड़ता में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

<u>के साथ</u>

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11693/2024

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री श्रवण राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, भड़ाना, पी.एस. मुंडवा, जिला नागौर (वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह मेड़ता में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री आनंद राम

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री श्रवण सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>20/09/2024</u>

1. बीएनएसएस की धारा 483 (पुरानी संहिता की धारा 493) के तहत दायर इन जमानत याचिकाओं में की गई प्रार्थना पुलिस स्टेशन थांवला जिला नागौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/2024 के अनुसरण में पंजीकृत अपराध के संबंध में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21,

8/15, 8/25 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में जमानत प्रदान करने के लिए है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के अनुसार, 27.08.2024 को सुबह 05.50 बजे, 7 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक और 7.100 किलोग्राम नागौर जिले में पुष्कर से थांवला जाने वाली सड़क पर पंजीकरण संख्या आरजे-21-एमएस-1259 पर यात्रा कर रहे दोनों याचिकाकर्ताओं के कब्जे से 15 ग्राम प्रतिबंधित डोडा-पोस्त बरामद किया गया। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ का वजन वाणिज्यिक मात्रा से कम है। याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है; याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाए गए पूरे आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान सरकारी अभियोजक ने इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है कि इस मामले में 7 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक बरामद की गई है। इसलिए, वह याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं।

5. इस न्यायालय ने अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है।

6. अभिलेखों के अवलोकन तथा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ का वजन वाणिज्यिक मात्रा से कम है, इसलिए अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित निष्कर्ष दर्ज करना जमानत देने के लिए अनिवार्य नहीं है। मामले की सुनवाई पूरी होने में पर्याप्त समय लगेगा। एफआईआर के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता 27.08.2024 से हिरासत में हैं।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरा विचार है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि यह न्यायालय महसूस करता है कि आवेदकों के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं और आवेदकों को अनिश्चित

काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

8. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदनों को अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता 1. कमल किशोर पुत्र श्री सीता राम और 2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री श्रवण राम, जिन्हें एफ.आई.आर. के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना थांवला जिला नागौर के अपराध क्रमांक 143/2024 के अनुसार अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करें, इस शर्त के साथ कि वे सुनवाई की सभी तिथियों पर और जब भी बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिन के भीतर और जमानत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक और शाखा के नाम के साथ शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे और अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति और बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के तहत जुर्माना राशि की वसूली की आवश्यकता होने पर जुर्माना राशि की आसानी से वसूली की जा सके।

9. इस मामले से अलग होने से पहले, यह न्यायालय इस बात पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता है कि निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज करने का आदेश किस लापरवाही से पारित किया गया, खास तौर पर एक ऐसे न्यायालय द्वारा जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, जिसके पास पर्याप्त अनुभव है। आदेश में न तो घटना की तारीख और न ही आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख जमानत आदेश का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने जमानत खारिज करने वाले आदेश में इसका उल्लेख करना उचित नहीं समझा। यह चूक एक बड़ी चूक है। इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार अधूरा रह गया है। कानूनी सटीकता को बनाए रखने के लिए इसका सटीक उल्लेख आवश्यक है। इस चूक के परिणामस्वरूप आदेश में अपेक्षित न्यायिक कठोरता और गहराई का अभाव है और यह स्वीकार्य मानकों से कम है।

10. यह मुद्दा केवल वर्तमान मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कई आदेशों में आम तौर पर देखा जाता है।

11. इसलिए, इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि यदि उचित समझा जाए तो इस संबंध में अपेक्षित परिपत्र जारी करने के लिए इस आदेश की एक प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करें।

12. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।